बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संचिका सं0–15/आरोप (रोहतास) 02–19/2021–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

समाहर्त्ता, रोहतास, सासाराम के पत्रांक–492 दिनांक–26.03.2021 के द्वारा **श्री अंशु कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, अकोढ़ीगोला, रोहतास** के विरूद्ध कतिपय आरोपों को साक्ष्यों के साथ प्रतिवेदित करते हुये श्री सिंह के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई।

2. उक्त के आलोक में श्री सिंह के विरूद्ध विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित किया गया जिसमें राजस्व संबंधी कार्यो की वरीयता की उपेक्षा कर अन्य कार्यो में लिप्त रहने, गलत मंशा से प्रेरित होकर बिना किसी सूचना/वरीय पदाधिकारी के आदेश के विभिन्न स्थलों यथा–पैक्स गोदाम, सी0एम0आर0 गोदाम आदि पर छापेमारी करने के कारण अकोढ़ीगोला अंचल में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने, आदतन पैक्सों के गोदामों पर छापा मारकर नाजायज ढंग से राशि की उगाही करने एवं माफियाओं के साथ सांठ–गांठ कर अवैध बालू ट्रैक्टरों के परिचालन कराने जैसे आरोप प्रतिवेदित किये गये।

3. प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–1318(15), दिनांक–01.08.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री सिंह द्वारा स्पष्टीकरण दिनांक–16.08.2024 समर्पित किया गया।

4. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प सं0–79(15) दिनांक–23.01.2025 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), रोहतास** को जाँच/संचालन पदाधिकारी तथा **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, डिहरी (रोहतास)** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

5. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), रोहतास के पत्रांक–61/वि0जॉच दिनांक–09.06.2026 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन/अधिगम विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें सभी आरोपों को प्रमाणित अंकित किया गया है।

6. आरोपी पदाधिकारी से प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–1386(15) दिनांक–27.08.2026 से अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री सिंह द्वारा अपना अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) दिनांक–17.09.2026 से विभाग को समर्पित किया गया।

7. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में श्री भगत से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन के अवलोकनोपरान्त/समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा बिना किसी वरीय पदाधिकारी के आदेश एवं पूर्व सूचना के दिनांक–

15.03.2021 को पैक्स गोदाम पकड़िया की छापेमारी के क्रम में स्थानीय लोगो के द्वारा विरोध हुआ तथा भीषण विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई। इस भीषण विधि–व्यवस्था संकट में अनुमंडल पदाधिकारी, डिहरी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डिहरी के द्वारा निकटवर्ती 4–5 थानाओं में उपलब्ध बल को वहाँ प्रतिनियुक्त कर तत्कालिक रूप से मामले को शांत कराया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी, डिहरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डिहरी एवं सहायक आयुक्त उत्पाद. रोहतास, सासाराम के द्वारा संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिनांक–15.03.2021 को रात 08:00 बजे तथाकथित गुप्त सूचना के आधार पर शराब की जाँच करने हेतु पैक्स गोदाम, पकड़िया पर छापेमारी की गयी, लेकिन कोई शराब बरामद नहीं हुई। जाँच में स्पष्ट हुआ कि जाँच के नाम पर पैक्स गोदाम, पकड़िया के चावल गाड़ी की लोडिंग का जाँच की गयी तथा पैक्स के अध्यक्ष को घर पर बुलाया गया। छापेमारी के पहले आरोपी पदाधिकारी द्वारा गुप्त सूचना की जानकारी अपने वरीय पदाधिकारी को नहीं दी गयी, जिस गुप्त सूचना की बात आरोपी पदाधिकारी द्वारा बताई गई है जॉच में गलत तथा मनगढ़ंत पाया गया बल्कि आदतन पैक्सों के गोदामों पर छापा मारकर नजायज ढंग से राशि की उगाही करने की भी बात प्रकाश में आई। आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिनांक–15.03.2021 की रात्रि में की गयी छापेमारी के सही उद्देश्य को जाँचदल को नहीं बता पाना इस बात को प्रमाणित करता है कि नजायज राशि की उगाही के उद्देश्य से ही विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागीय तथाकथित आदेश का हवाला देते हुए पैक्स गोदाम पर शराब के सेवन एवं भंडारण की सूचना मिलने पर छापेमारी की गई है तथापि सत्त्यापन के क्रम में शराब नहीं पाये जाने की स्थिति में इस आशंका को बल मिलता है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा जान बूझकर आर्थिक भयादोहण के उद्देश्य से वरीय पदाधिकारी के बगैर आदेश एवं पूर्व सूचना के पैक्स गोदाम में छापेमारी की गई है जिसके कारण विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। पैक्स गोदाम में शराब के सेवन एवं भंडारण की जाँच हेतु पैक्स गोदाम पर छापेमारी किया जाना उनके पैक्स गोदामों से नजायज रूप से राशि उगाही किए जाने की संदिग्ध मंशा को परिलक्षित करता है जिसके कारण विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई।

जॉच दल द्वारा अकोढ़ीगोला अंचल के अंतर्गत बालू माफियों के साथ सॉठ–गाँठ से अवैध बालू ट्रैक्टरों के परिचालन कराने का आरोप आरोपी पदाधिकारी पर प्रतिवेदित किया गया हैं जबकि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव में अनुमंडल पदाधिकारी, डिहरी के आदेश के अनुपालन में अवैध रूप से बालू ट्रैक्टरों के परिचालन की जॉच किए जाने का उल्लेख किया गया है, जो सही नहीं है क्योंकि अनुमंडल पदाधिकारी का पत्रांक–77, दिनांक–29.01.2021 द्वारा अवैध रूप से बालू ट्रैक्टरों के परिचालन की जॉच किए जाने हेतु निदेशित किया गया है जबकि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अवैध रूप से बालू ट्रैक्टरों के परिचालन से संबंधित चालकों/मालिकों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए जो पत्र सहायक निदेशक, खान एवं भू–तत्व विभाग, रोहतास को प्रेषित किया गया है वह अनुमंडल पदाधिकारी, डिहरी के उक्त पत्र द्वारा आदेश निर्गत की तिथि के पूर्व का है। मात्र एक पत्र अनुमंडल पदाधिकारी, डिहरी के आदेश निर्गत की तिथि के बाद का है, जिससे स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा वरीय पदाधिकारी के आदेश बिना अपने निजी स्वार्थवश नजायज राशि की उगाही के उद्देश्य से बालू ट्रैक्टरों

के परिचालन की जाँच की गई है। इसलिए उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण–पृच्छा) स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

तदोपरान्त आरोपी पदाधिकारी का अभ्यावेदन/निवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध "संचयी प्रभाव के साथ 02(दो) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

8. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अंशु कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, अकोढ़ीगोला, रोहतास **सम्प्रति अंचल अधिकारी, पलासी, अररिया** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(vi) के तहत **"संचयी प्रभाव के साथ 02(दो) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (रोहतास) 02–19/2021–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, रोहतास एवं अररियां/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रोहतास एवं अररिया/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/ श्री अंशु कुमार सिंह, अंचल अधिकारी, पलासी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (रोहतास) 02–19/2021–2122(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–12/11/26

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री सिंह** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

12/11/26

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।